संख्या– 944 /VII-1/2018/90ख/16

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
   उत्तराखण्ड देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादून:दिनांक 13 अप्रैल, 2018**

विषय: रिवर ट्रेनिंग हेतु अन्तरिम व्यवस्था निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1590/VII-1/90–ख/2016, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा राज्य के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत, ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं है तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में आर०बी०एम० जमा होने से नदी तट के कटाव, जान–माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से आर०बी०एम० को हटाये/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016 प्रख्यापित की गई, जिसके संबंध में शासन के पत्र संख्या–384/VII-1/2018/90ख/16, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 द्वारा वर्तमान में प्रभावी उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016 के प्रावधानानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, ताकि जलप्लावन एवं बाढ़ जैसी स्थितियों से जनधन हानि न हो/इसे सीमित किया जा सके।

2– उपरोक्त के संबंध में वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016 में ऐसे क्षेत्र, जहां नदी के द्वारा उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना है, में से आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने हेतु निजी व्यक्ति/सरकारी विभाग का चयन कैसे किया जायेगा, का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण जनपद स्तर पर रिवर ट्रेनिंग नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थित ऐसे क्षेत्र, जहां नदी के द्वारा उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना है, से आर०बी०एम० हटाये जाने हेतु वर्षा काल के प्रारम्भ होने तक निम्नवत् अन्तरिम व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(1) **रिवर ट्रेनिंग क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सत्यापन एवं मूल्यांकन:–** ऐसे क्षेत्र जहां नदी के द्वारा उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी :–

(i)	उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(iii)	सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता	–	सदस्य
(iv)	भू–वैज्ञानिक	–	सदस्य
(v)	खान अधिकारी	–	सदस्य

–2

(2) **चिन्हित स्थलों से आर०बी०एम० हटाये जाने हेतु आवेदनः–** संबंधित जनपद के स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं से जमा आर०बी०एम० हटाये जाने हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आर०बी०एम० निस्तारण हेतु रायल्टी के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान तथा क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।

चिन्हित स्थल में उपलब्ध आर०बी०एम० निस्तारण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर समिति द्वारा खुली नीलामी (Open Auction) के माध्यम से सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

(3) **रिवर ट्रेनिंग हेतु अनुज्ञा की स्वीकृति एवं आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने हेतु अनुज्ञा अवधिः–** उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि का अनुज्ञा यथाप्रक्रिया स्वीकृत किया जायेगा। आर०बी०एम० निस्तारित/उठान किये जाने की अनुज्ञा अधिकतम 02 माह अथवा खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, इसमें से जो भी पहले हो, के लिए स्वीकृत की जायेगी।

(4) **आर०बी०एम० को निस्तारित किये जाने हेतु अनुमत गहराईः–** नदी के जल स्तर से 01 मी० की गहराई तक चुगान की अनुमति दी जायेगी तथा विशेष परिस्थिति में अनुमत गहराई से अधिक गहराई तक उपखनिज के चुगान हेतु शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(5) **आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धतिः–** आर०बी०एम० का चुगान यथा सम्भव मानव शक्ति द्वारा नदी के दोनों किनारे से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए किया जायेगा।

(6) **आर०बी०एम० का निस्तारणः–** आर० बी०एम० का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर०बी०एम० पर रायल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

3– उक्तानुसार निर्धारित अन्तरिम व्यवस्था उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित उपखनिज लाटों/क्षेत्रों पर प्रभावी नहीं होगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 944 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
2. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव